UPSR010003862026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी–निर्दोष कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D – UP–1659

जमानत आवेदन संख्या–141/2026

इन्द्रपाल उर्फ इन्द्रजीत पुत्र विद्याराम उम्र–18 वर्ष निवासी–अकारा वैभी, थाना–सोनवां, जनपद–श्रावस्ती। ––––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

1– राज्य सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा डी०जी०सी० क्रिमिनल, श्रावस्ती।

2– महेश कुमार पुत्र राम गोपाल साकिन–अकारा वैभी, थाना–सोनवां, जनपद–श्रावस्ती।

3– डी०एल०एस०ए० श्रावस्ती।

4– सी०डब्लू०सी० श्रावस्ती।

––––– .अभियोजक/वादी।

मुकदमा अपराध संख्या–18/2026
धारा–137(2),87 बी०एन०एस०
व धारा–11/12 पॉक्सो एक्ट
थाना–सोनवां, जनपद–श्रावस्ती।

दिनांक–11–03–2026

प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियुक्त इन्द्रपाल उर्फ इन्द्रजीत द्वारा अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–18/2026 धारा–137(2),87 बी०एन०एस० व धारा–11/12 पॉक्सो एक्ट, थाना–सोनवां, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी महेश कुमार पुत्र राम गोपाल ने थानाध्यक्ष–सोनवां को तहरीर दिनांक–12–02–2026 को इस आशय से दी कि दिनांक–12–02–2026 को सुबह 5:00 बजे उसकी लड़की पीडिता उम्र लगभग 17 वर्ष शौच जाने की बात कहकर खेत की तरफ गयी थी। वहीं से विपक्षी इन्द्रजीत उसकी लड़की पीडिता को बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। उसकी लड़की को भगवाने में विद्याराम, मीना देवी, अन्शु का सहयोग है। उसकी लड़की अपने साथ नगद पचास हजार रूपया भी ले गयी है।

वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–सोनवां में अभियुक्त

Digitally signed by NIRDOSH KUMAR
Date: 2026.03.11 15:44:43 IST
Reason: ASJ(Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

इन्द्रजीत सहित 03 अन्य मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–18/2026 धारा–137(2) बी०एन०एस० का मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक ने दौरान विवेचक धारा–87 बी०एन०एस० व धारा–11/12 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की।

जमानत आवेदन/शपथ पत्र में आवेदक/अभियुक्त ने यह अभिकथित किया है कि वह दिनांक–18–02–2026 से जिला कारागार श्रावस्ती में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र किसी अधीनस्थ या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और यह उसका प्रथम जमानत आवेदन है। एफ०आई०आर साजिशी व बनावटी है और विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। आवेदक/अभियुक्त एक सीधा साधा गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है और न ही घटना में लिप्त होना पाया गया है। अभियुक्त घर का अकेला व्यक्ति है और बुजुर्ग मां और पिता उस पर निर्भर है। एफ०आई०आर० में वर्णित अन्तर्वस्तु अपने आप में स्वयं विरोधाभाषी हैं। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। एफ०आई०आर व घटना की तारीख में विरोधाभाष है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

जमानत आवेदन के विरूद्ध वादी की ओर से लिखित आपत्ति मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गयी। जिसमें कथन किया गया है कि दिनांक–12–02–2026 को अभियुक्त इन्द्रपाल उर्फ इन्द्रजीत ने वादी की लड़की पीडिता को बहला फुसलाकर भगाया तथा उसके अवयस्क होने की दशा में उसे अपमानित करने के नियत से तथा उसके भविष्य में बर्बाद करने की नियत से छेडछाड़ की। अपराध की प्रकृति गम्भीर है और अपराध अजमानतीय है। अतः अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रिमिनल) एवं वादी के निजी विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना और अभियोजन प्रपत्र एवं केस डायरी का सम्यक अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों एवं तर्कों को ही दोहराया है और अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। जबकि वादी के निजी विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल ने दौरान बहस यह तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा अवयस्क पीडिता को बहला फुसलाकर भगा ले गया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने वाला है। अतः अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

केस डायरी एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि विवेचक द्वारा पीडिता के उम्र के सम्बन्ध में पीडिता के हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र सह अंकपत्र

की छायाप्रति एकत्र किया है। जिसमें पीडिता की जन्मतिथि 15–07–2008 अंकित है। जिसके अनुसार घटना दिनांक 12–02–2026 को **पीडिता की आयु 17 वर्ष 06 माह 28 दिन** होना प्रथम दृष्टया साबित है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना पीडिता का उम्र विषयक मेडिकल भी कराया है, जिसमें सी०एम०ओ० श्रावस्ती द्वारा पीडिता की आयु लगभग 17 वर्ष निर्धारित की गयी है। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में स्वयं की मर्जी से अभियुक्त के साथ जाने का कथन किया है। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस० में बताया है कि उसने अभियुक्त को स्वयं फोन करके बुलाया था और और इन्द्रपाल उसे लेने आया था। वह इन्द्रपाल के साथ पुणे जाना चाहती थी। चेतिया से ऑटो में बैठे दोनक्के पर पुलिस ने पकड़ लिया। उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ था। वह अभियुक्त से शादी करना चाहती है और उम्र पूरी होने के बाद शादी करेगें। इस प्रकार पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस० के अवलोकन से विदित है कि पीडिता ने अभियुक्त को स्वयं फोन करके बुलाया था और उसने अभियुक्त से पुणे चलने के लिए कहा था। अभियुक्त पर मात्र पीडिता को व्यपहृत करने का आरोप है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध अधिकतम 10 वर्ष की सजा से दण्डनीय है। पीडिता ने अपना आन्तरिक परीक्षण कराने से चिकित्सक के समक्ष स्वयं इन्कार किया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जमानत की शर्तों का पालन करने हेतु तैयार हैं। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण दोष पर अंतिम निष्कर्ष दिये बिना ही अभियुक्त को आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाना उचित है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त इन्द्रपाल उर्फ इन्द्रजीत का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त इन्द्रपाल उर्फ इन्द्रजीत द्वारा द्वारा अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–18/2026 धारा–137(2),87 बी०एन०एस० व धारा–11/12 पॉक्सो एक्ट, थाना–सोनवां, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत पचास हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग कि विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा उनके आहूत करने पर बराबर उपस्थित होकर सहयोग करेगा, गवाहों के आने पर जिरह करेगा, गवाहों के पक्षद्रोही होने पर दबाव नहीं देगा के प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–11–03–2026

(निर्दोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम) श्रावस्ती।